भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 806

सोमवार, 25 जुलाई, 2022/ श्रावण 3,1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नागर विमानन के क्षेत्र में राजस्व संग्रह बढ़ाना

806.# श्री नीरज डांगी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान देश के नागर विमानन क्षेत्र में राजस्व बढ़ाने के लिए कोई महत्वपूर्ण पहल की है;
(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा उक्त पहल के कार्यान्वयन के बाद जिन क्षेत्रों सफलतापूर्वक उच्च राजस्व अर्जित किया गया है उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (ग): जी हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश में नागर विमानन क्षेत्र की क्षमता, परिवहन, राजस्व तथा लाभप्रदता के विकास के लिए अनेक पहलें की गई हैं।

इन पहलों में निम्नलिखित शामिल हैः

(i) यात्री तथा कार्गो परिवहन क्षमता संवर्धन के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अगले पाँच वर्षों तक, लगभग 25,000 करोड़ रुपये के अनुमानित पूंजीगत व्यय के साथ, नए हवाईअड्डों का निर्माण और मौजूदा हवाई अड्डों के विकास का कार्य आरंभ किया है।

(ii) दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु के सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) वाले हवाईअड्डों पर, वर्ष 2025 तक, लगभग 30,000 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ, बृहद विस्तारण परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।

(iii) इसके अतिरिक्त, देशभर में पीपीपी प्रणाली के तहत नए ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए 36,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई गई है।

(iv) भारत सरकार ने, देशभर में 21 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना हेतु 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। अभी तक, आठ ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों नामतः, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और शिरडी, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पैक्योंग, केरल में कन्नूर, आंध्र प्रदेश में ओर्वाकल, कर्नाटक में कलबुर्गी तथा उत्तर प्रदेश में कुशीनगर से प्रचालन आरंभ हो चुका है।

(v) विमानन ईंधन की उच्च लागत को देखते हुए, राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों से विमानन ईंधन पर वैट कम करने का अनुरोध किया गया था। अभी तक 16 राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्र नामतः अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, दादर एवं नागर हवेली तथा दमण एवं दीव, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड ऐसा कर चुके हैं।

(vi) घरेलू रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहाल (एमआरओ) सेवाओं के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है।

(vii) विमान क्षेत्र तथा हवाईअड्डा क्षमता के उपयुक्त उपयोग हेतु विमान दिक्चालन अवसंरचना में सुधार किया जा रहा है।

भारतीय वाहकों का राजस्व, वित्त वर्ष 2020-21 के 40,000 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 59,000 करोड़ रुपये हो गया है। भारतीय हवाईअड्डों का राजस्व, वित्त वर्ष 2020-21 के 4500 करोड़ रुपये से बढ़कर, वित्त वर्ष 2021-22 में 6,500 करोड़ रुपये हो गया है।